


राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर
क्रमांक:-सं.27-3(01)/पदो./अभि./2022/5438-49 दिनांक:- 13/05/2022

-आदेश:-

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ सहायक के पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कनिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2021-22 की रिक्तियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 में पे मैट्रिक्स लेवल -5 में पदोन्नत किया जाता है।


क्र.सं.	वरिष्ठता क्रमांक	नाम कार्मिक	आरक्षण वर्ग	चयन वर्ष	रिक्ति की दिनांक	वर्तमान पदस्थापन स्थान
01.	53	श्री इन्द्र सिंह पुत्र श्री देवी सिंह	सामान्य	2021-22	01.04.2021	कार्यालय उप निदेशक अभियोजन अजमेर

उपरोक्त पदोन्नत कार्मिक का कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर पदस्थापन आदेश अलग से जारी किया जावेगा। पदोन्नति पर इनका वेतन निर्धारण के फलस्वरूप नकद लाभ पदोन्नति पद पर उपस्थिति की दिनांक से देय होगा। उपरोक्त पदोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग के पत्र क्रमांक पं. 13(5) साप्र/3/2008 पार्ट दिनांक 10.05.2022 के द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है।


(चंचल मिश्रा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव ,निदेशक अभियोजन ,राजस्थान जयपुर ।
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन)/ (न्याय) राजस्थान जयपुर ।
3. उप निदेशक अभियोजन ,अजमेर ।
4. सम्बन्धित कर्मचारीद्वारा :- उप निदेशक अभियोजन ,अजमेर ।
5. संस्थापन शाखा (कनिष्ठ मंत्रालयिक) ,अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली ।


निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर।